न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12, फैजाबाद।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–221 / 2022

कम्प्यूटर पंजीयन संख्या–2550 / 2022

1–राम बहादुर पुत्र रामलोचन

2–सोमनाथ पुत्र रामलोचन

3–अरूण कुमार पुत्र झिनकान

समस्त निवासी ग्राम–दंतौली, थाना–महराजगंज, जिला–अयोध्या।

.....अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

.....विपक्षी

मु0अ0सं0–136 / 2021

अन्तर्गत धाराः–147,148,323,527,

504,506,308,325 भा0दं0सं0

थाना–महराजगंज, जिला फैजाबाद

दिनांक–16.03.2023

प्रार्थीगण / अभियुक्तगण रामबहादुर सोमनाथ व अरूण कुमार की तरफ से अग्रिम जमानत का यह प्रथम प्रार्थना पत्र धारा 438 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत मु0अ0सं0–136 / 2021 अंतर्गत धारा–47,148,323,527,504,506,308,325 भा0दं0सं0 थाना–महराजगंज, जिला फैजाबाद के प्रकरण में अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने की याचना के साथ उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थिनीगण न्यायिक अभिरक्षा में नहीं है।

संक्षेप मे अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा आज दिनांक 03.05.2021 को समय लगभग सुबह सात बजे अपने खेत में काम कर रहा था कि मेरे गांव के नरसिंह वर्मा, शोभनाथ वर्मा, झिनकान वर्मा, रामबहादु वर्मा, प्रदीप वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा, सुधीर वर्मा, अनुज वर्मा ये लोग मिलकर वादी मुकदमा के खेत का मेड़ तोड़कर जुताई करने लगे। वादी मुकदमा ने जोतने व गन्ना बोने से मना किया तेा उपरोक्त लोग गाली–गलौच कतरे हुए लोहे के राड व धारदार हथियार, गड़ासा, कुदाल व फरसा व लाठी–डंडा से वादी मुकदमा पर जानलेवा हमला कर दिए। वादी मुकदमा के चिल्लाने पर वादी मुकदमा के परिवार के प्रवीण वर्मा, फौजदार वर्मा , रामजनम वर्मा गोहार सुनकर बीच–बचाव करने दौड़े तो विपक्षीगण ने इन लोगों पर गाली देते हुए जान लेवा

हमला बोल दिया, जिससे वादीगण के परिवार के सिर व हाथ में गंभीर चोटें आयी।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की तरफ से जमानत प्रार्थना–पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण बिल्कुल बेगुनाह है उन्हें रंजिशवश फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार जिन हथियारों का का घटना में प्रयोग होना कहा गया है उसमें से किसी भी हथियार से चोटहिल को चोट नहीं आयी है। इस मुकदमें का क्रास केस सरकार बनाम शिव बहादुर आदि मु0अ0सं0 137/2021 धारा 147,148,323,325,308,504,506 भा0दं0सं0 थाना–महराजगंज, जिला–अयोध्या जिसे नरसिंह वर्मा द्वारा दर्ज कराया गया है। क्रासकेस में विपक्षीगण जानलेवा हमला करने से प्रार्थी नरसिंह वर्मा, अरूण कुमार, प्रदीप कुमार, झिनकान, तिलकराम को गंभीर चोटें आयी हैं। उभय पक्षों के मध्य गाटा संख्या–0677 रकबा 0.270 हे0 स्थित मौजा रामपुर पुवारी उपरहार परगना अमसिन, तहसील–व जिला फैजाबाद के संबंध में काफी दिनों से विवाद चल रहा है । इसी कारण वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थीगण को गलत व फर्जी आधार पर फंसाया गया है। प्रार्थीगण बिल्कुल निर्दोष हैं अतः उन्हें जमानत पर रिहा करने की कृपा की जाय।

विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्तागण पूर्ण रूप से दोषी हैं इसके विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अभियुक्तागण शातिर किस्म की अपराधी है और जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गयी ।

मैनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

विद्वान शासकीय फौजदारी द्वारा प्रस्तुत आख्या एवं मूल पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा विवेचना के पश्चात दिनांक 14.10.2021 को आरोप–पत्र प्रेषित किया जा चुका है एवं विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 14.10.2021 को उक्त आरोप–पत्र पर प्रसंज्ञान लिया जा चुका है, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को पुलिस से गिरफतारी की कोई संभावना/आशंका नहीं है, क्योंकि विवेचना समाप्त हो चुकी है। जहां तक न्यायालय में लम्बित पत्रावली का प्रश्न है उक्त पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रसंज्ञान लिए जाने के पश्चात विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में उपस्थिति हेतु प्रासेस जारी करने का आदेश किया गया है। धारा 438 दं0प्र0सं0 की मुख्य शर्त यही है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अजमानतीय अपराध के अभियेाग में गिरफतार किए जाने की आशंका हेा तभी वह इस धारा के तहत सक्षम न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में ऊपर किए गए निर्वचन से

यह स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा प्रकरण में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है और विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा चुका है, किन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहीं भी यह कथन नहीं किया गया है कि उसे उक्त प्रकरण में गिरफतारी की कोई आशंका है। प्रार्थी द्वारा एक सामान्य जमानत प्रार्थना पत्र को धारा 438 दं0प्र0सं0 के तहत प्रस्तुत किए जाने का प्रयास किया गया है, किन्तु धारा 438 दं0प्र0सं0 के तहत प्रावधानित शर्तों को पूरा नहीं किया गया है, जिस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा को अभियुक्तगण द्वारा गंभीर चोटें उपहति कारित की गयी हैं। जिसके संदर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध आघात आख्या का अवलोकन किया गया। आघात आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि चोटहिल शिव बहादुर वर्मा व प्रवीण कुमार वर्मा आदि को गंभीर उपहति कारित की गयी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पोषणीय न होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रामबहादुर, सोमनाथ व अरूण कुमार की तरफ से अग्रिम जमानत का यह प्रथम प्रार्थना पत्र मु0अ0सं0–136/2021 अंतर्गत धारा–147, 148, 323, 527, 504, 506, 308, 325, भा0दं0सं0 थाना–महराजगंज, जिला–फैजाबाद के अभियोग में आधार पर्याप्त न होने के कारण निरस्त किया जाता है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–12 फैजाबाद।

Digitally signed by Brijesh Kumar Singh
Date: 2023.03.17 17:05:28 IST
Reason: bell
Location: District and Sessions Court